परिशिष्ट 1

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 6, मंगलवार, शाके 1938–अप्रेल 26, 2016
Vaishakha 6, Tuesday, Saka 1938-April 26, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 26, 2016

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2016:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2016 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण का विनियमन करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2